ACE/Law/22-23/016 20-09-2022

डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर

(A State Funded University of Rajasthan)

"रूसा भवन", शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर–302015

www.alujaipur.ac.in E-mail: registrar@alujaipur.ac.in

क्रमांक : 4(3)परीक्षा/अविवि/2020–21/4029 दिनांक: 16.09.2022

–:सूचना:–

समस्त प्राचार्य एवं नियमित व पूर्व छात्र–छात्राओं को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा जारी परीक्षा शुल्क संशोधन आदेश क्रमांक F4(3)Exam/ALU/2021-22/5628-36 दिनांक 09.09.2022 द्वारा परीक्षा शुल्क संबंधी विभिन्न मदों में संशोधन किया गया है। अतः एतद् द्वारा समस्त संबंधित को सूचित किया जाता है कि भविष्य में उक्त संशोधित आदेशानुसार ही कार्यवाही की जा सकेगी। आपके सुलभ संदर्भ हेतु जारी आदेश की प्रति संलग्न है। संलग्न आदेश में उल्लेखित विभिन्न मदों में से कुछ मद का विवरण मय शुल्क निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	संशोधित विवरण	पूर्व शुल्क	संशोधित शुल्क
1.	नामांकन व पात्रता हेतु वांछित दस्तावेज विलम्ब से वि.वि. में जमा करवाने के स्थिति में दस्तावेज मय विलम्ब शुल्क के स्वीकार किया जायेगा।	–	रु. 750/– (प्रति छात्र)
2.	परीक्षा फार्म/ अंक तालिका में छात्र की अभ्यर्थिता (Candidature) में किसी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन किया जाना/(वि.वि. द्वारा अनुमत होने की दशा में ही)	–	रु. 750/– (प्रति छात्र) (प्रति आवेदन)
3.	माइग्रेशन शुल्क	रु. 240/–	रु. 260/– (प्रति छात्र)
4.	माइग्रेशन डाक द्वारा भेजे जाने की दशा में डाक व्यय	–	रु. 100/– (प्रति डाक)

कृपया विस्तृत सूचना हेतु जारी आदेश दिनांक 09.09.2022 का अवलोकन करें।

उक्तानुसार वांछित शुल्क का भुगतान रजिस्ट्रार, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर के नाम देय डिमाण्ड ड्राफ्ट व प्रार्थना पत्र जर्ये संबंधित महाविद्यालय प्राचार्य से अग्रेषित किया जाकर परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के पत्र आवक एवं जावक शाखा में प्रस्तुत करें। तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

16/9/22

(डॉ. नीरज जैन)
परीक्षा नियंत्रक

Forward to
2 Notice Board/website
Ramesh is for ref & Record
19.9.22